मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 04] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जनवरी 2015-माघ 3, शके 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ शपथकर्ता का नाम यशवंत वर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र वर्मा है, वर्तमान में मैं नरेन्द्र वर्मा के नाम से जाना जाता हूँ एवं मेरे समस्त शैक्षणिक सरकारी/गैर सरकारी कागजों में भी अंकित है. अब से भविष्य में मुझे यशवंत वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाए एवं सभी सरकारी/गैर सरकारी दस्तावेजों में भी यशवंत वर्मा के नाम से जाना-पहचाना जाये.

पुराना नाम :
(नरेन्द्र वर्मा)

नया नाम :
(यशवंत वर्मा)
पुत्र श्री रामचन्द्र वर्मा,
निवासी-लाईन नम्बर 02/108,
बिरला नगर, ग्वालियर (म.प्र.).

(554-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री भैयालाल मीणा आत्मज श्री बालकिशन मीणा, आयु 22 वर्ष, निवासी 14, नवीपुर, पोस्ट दोराहा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर (मध्यप्रदेश) द्वारा अपना नाम परिवर्तन किया जा रहा है तथा आज के पश्चात् श्री भैयालाल मीणा के स्थान पर उन्हें समर मीणा के नाम से सम्बोधित किया जाये तथा वे समर मीणा के नाम से जाने जायेंगे. मेरा पक्षकार अब समस्त शासकीय/अशासकीय कार्यालयों/विभागों इत्यादि में अपना नाम समर मीणा अंकित करेंगे तथा पूर्व में भैयालाल मीणा के नाम से जो भी दस्तावेज हैं उन्हें समर मीणा के नाम से परिवर्तित किये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी.

अतः उपरोक्तानुसार सर्व-साधारण को सूचित हो.

विवेक अग्रवाल,
(अधिवक्ता)
एचआईजी 10, शिवाजी नगर, भोपाल (म. प्र.).

(555-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, BALWINDER KAUR REHAL पति SUNDER MOHAN SINGH REHAL, निवासी 726/बी, नेपियर टाउन, चौथा पुल, जबलपुर (म.प्र.) घोषित करती हूँ कि मेरे पुत्र की अंक सूची में BALWINDER KAUR REEL लिखा हैं, जबकि सही उपनाम पासपोर्ट आधार कार्ड, वोटर आई. डी. में BALWINDER KAUR REHAL लिखा है, भविष्य में मुझे नये उपनाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(BALWINDER KAUR REEL)

नया नाम :
(BALWINDER KAUR REHAL)

(556-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

यह कि मैं, PRABHUDIT PAL SINGH REHAL पति SUNDER MOHAN SINGH REHAL , निवासी 726/बी, नेपियर टाउन, स्वामी दयानंद सरस्वती बाई वार्ड, जबलपुर (म.प्र.) घोषित करता हूँ कि मेरा नाम अंक सूची में PRABHUDIT PAL SINGH लिखा हैं, जबकि मूल निवासी प्रमाण-पत्र, पेन कार्ड, पासपोर्ट एवं अन्य प्रमाण-पत्रों में सही नाम उपनाम सहित PRABHUDIT PAL SINGH REHAL लिखा है, भविष्य में मुझे नये उपनाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(PRABHUDIT PAL SINGH)

नया नाम :

(PRABHUDIT PAL SINGH REHAL)

(557-बी.)

CHANGE OF NAME

Pooja Berani D/o Chander Lal Berani has changed her name to Vanshika Panjwani, after her marriage, dated 15 September, 2010.

Old Name :

(Pooja Berani)
D/o Shri Chander Lal Berani

New Name :

(Vanshika Panjwani)
W/o Mr. Shivadeep Panjwani,
R/o Panjwani Homoeopathic Clinic,
Lala Ka Bazar, Lashkar, Gwalior (M. P.).

(558-B.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम वर्तमान में विनीत कुमार वर्मा सभी दस्तावेज/शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है. मैंने अपना नाम में उपनाम 'वर्मा' के स्थान पर ''सिंह'' कर लिया गया है. अत: अब मेरा नाम विनीत वर्मा के स्थान पर विनीत सिंह पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(विनीत वर्मा)

नया नाम :

(विनीत सिंह)
निवासी-सोन चिरैया होटल के पास,
शिवपुरी (म.प्र.).

(559-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, रामसुमिरन पटेल पिता श्री सीताराम पटेल, सिविल परिचारक, श्रेणी-एक, कार्यालय कार्यपालन यंत्री (सिविल) चार, टी. एच. पी. म. प्र. पा. ज. क. लि., सिरमौर, जिला रीवा में कार्यरत था तथा दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में हाईस्कूल तक 'कुर्म०' लिखा है तथा हायर सेकेण्डरी की अंकसूची में पटेल लिखा है. अत: भविष्य में मेरे नाम के बाद 'कुर्म०' के स्थान पर 'पटेल' लिखा एवं पढ़ा जाये.

पुराना नाम :

(रामसुमिरन कुर्म०)
पिता सीताराम पटेल

नया नाम :

(रामसुमिरन पटेल)
पिता श्री सीताराम पटेल,
निवासी-ग्राम गढ़वा, पोस्ट कनौजा,
तहसील हजूर, जिला रीवा (म.प्र.).

(562-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा घरेलू नाम प्रिया जैन पुत्री श्री प्रदीप कुमार जैन है, किन्तु सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम सलौनी जैन अंकित है. अत: भविष्य में मुझे सलौनी जैन के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(प्रिया जैन)

नया नाम :

(सलौनी जैन)
पुत्री श्री प्रदीपकुमार जैन,
पता-2, महावीर चौक, भिण्ड (म.प्र.).

(564-बी.)

CHANGE OF NAME

I, JONY ANOOP changed my name to JONY ANOOP KUMAR LALWANI and now I, would be known as JONY ANOOP KUMAR LALWANI.

Old Name :
(JONY ANOOP)

New Name :
(JONY ANOOP KUMAR LALWANI)
301, mohit Palace,Indore (M. P.).

(565-B.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, लकी नेहरा पत्नि स्व. श्री अजय नेहरा, निवासी-इन्द्रा कॉलोनी, उज्जैन मध्यप्रदेश, आयु-28 वर्ष के नाम से जानी जाती हूँ. इस सम्बन्ध में मैं अपना सरनेम ''नेहरा'' के स्थान पर ''शर्मा'' करना चाहती हूँ. क्योंकि मैं पूर्व में लकी शर्मा पुत्री श्री अनिल शर्मा के नाम से जानी जाती थी.

जी. एन. राजौरिया,
(एडवोकेट)
ओम कॉलोनी, अशोकनगर (म. प्र.).

(586-बी.)

PUBLIC NOTICE

Know all men that the 2 new partners Smt. Richa Jain & Shri Vivek Jain have been admitted and 3 old Partners Shri Chaman Jain, Shri Sanmat Jain and Shri Ravindra Jain has been retired in the registered firm M/S SHRI JAIN DEVELOPERS (Reg. No. 04/14/01/00400/12 years 2011-12 Date 14-2-2012), Jabalpur w. e. f. 01-12-2014. The Profit Sharing Ratio has also been amended in the old partners on 01-12-2012.

That the registered office of the firm M/s Shri Jain Developers, Jabalpur has been shifted from 692, Bhaldarpura, Behind Vijay Cutpiece, Jabalpur to H. No. 90, Shyam Band Gali, Jawaharganj , Jabalpur w. e. f. 01-12-2014.

For M/s Shri Jain Developers,
Akhilesh Jain,
(Partners)

(553-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स मोहम्मद युनुस लाल मोहम्मद फर्म जिसका पता शाप नम्बर-49, नवीन फल एवं सब्जी मण्डी, तेजपुर गड़बड़ी, इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00318/13, दिनांक 28 फरवरी, 2013 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री मोहम्मद युनुस पिता श्री लाल मोहम्मद, 2. श्री गोविंद पठेजा पिता श्री रोचामल पठेजा, 3. श्री इन्दर पठेजा पिता श्री गोविंद पठेजा थे. जिसमें से 1. श्री मोहम्मद युनुस पिता श्री लाल मोहम्मद दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को उक्त भागीदारी फर्म से अलग हो गये हैं. इन्होंने फर्म से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है अब फर्म मैसर्स मोहम्मद युनुस लाल मोहम्मद से कोई लेना-देना नहीं है यह विदित हो.

तर्फे
मैसर्स मोहम्मद युनुस लाल मोहम्मद
1. श्री गोविंद पठेजा पिता श्री रोचामल पठेजा
2. श्री इन्दर पठेजा पिता श्री गोविंद पठेजा
(भागीदार).

(560-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स एम. इन्टरप्राइजेस फर्म जिसका पता-72, सियागंज, इंदौर जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00291/14, दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्रीमती सकीना हुसैन पति श्री हैदर हुसैन, 2. श्री सैफी राजा पिता श्री हैदर हुसैन, 3. श्री युनुस पति श्री हैदर हुसैन थे इस फर्म में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं-

1. श्री किशोर वाधवानी पिता स्व. श्री खानचंद वाधवानी एवं श्री नितेश वाधवानी पिता स्व. श्री अशोक वाधवानी, दिनांक 08-4-2009 को फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं यह विदित हो.

2. श्रीमती सकीना हुसैन पति श्री हैदर हुसैन, श्री सैफी राजा पिता श्री हैदर हुसैन एवं श्री युनुस राजा पिता श्री हैदर हुसैन, दिनांक 01 अक्टूबर, 2009 उक्त भागीदारी फर्म से अलग हो गये हैं. इन्होंने फर्म से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है अब फर्म मेसर्स एम. इन्टरप्राईसेस से कोई लेना-देना नहीं है एवं उक्त फर्म का पंजीकृत कार्यालय-501, कॉर्पोरेट हाऊस, आर. एन. टी. मार्ग, इंदौर हो गया है यह विदित हो.

तर्फे

मेसर्स एम. इन्टरप्राइजेस

1. श्री किशोर वाधवानी पिता स्व. श्री खानचंद वाधवानी

2. श्री नितेश वाधवानी पिता स्व. श्री अशोक वाधवानी

(561-बी.) (भागीदार).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं कमल कुमार बुदलानी पुत्र श्री गोपीचन्द बुदलानी, रहवासी जी-10, ओनम प्लाजा, आगरा-मुम्बई रोड, इन्दौर (म.प्र.) फर्म ''मेसर्स ग्रीन हिल्स हाऊसिंग'' स्थान जी-10, ओनम प्लाजा, आगरा-मुम्बई रोड, इन्दौर (म.प्र.) से दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह इस जाहिर सूचना प्रकाशन के 10 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति नीचे लिखे पते पर दें. नियत समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरांत किसी भी प्रकार की आपत्ति मुझ पर बंधनकारी नहीं रहेगी.

मे. ग्रीन हिल्स हाऊसिंग

कमल कुमार बुदलानी,

जी-10, ओनम प्लाजा,

आगरा-मुम्बई रोड,इन्दौर (म.प्र.).

(1) अरूण गुप्ता

(भागीदार).

(2) तरूण गुप्ता

(भागीदार).

(3) टीना गुप्ता

(भागीदार).

(563-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स अवन्तिका प्रकाशन 2, रानी लक्ष्मीबाई मार्ग मालीपुरा उज्जैन में निम्न परिवर्तन हो गये हैं भागीदारी फर्म के एक भागीदार श्रीमती बसंती बाई पत्नी स्व. श्री गोवर्धनलाल मेहता का स्वर्गवास दिनांक 18 जनवरी, 2013 को हो जाने से दिनांक 19 जनवरी, 2013 को भागीदार सूरज मेहता आत्मज श्री सुरेन्द्र मेहता व संदीप मेहता आत्मज श्री सुरेन्द्र मेहता दिनांक 19 जनवरी, 2013 से भागीदारी फर्म में सम्मिलित हो गये हैं व इसी दिनांक 19-1-13 को एक भागीदार अनिल मेहता पिता श्री गोपाल मेहता भागीदारी फर्म से पृथक् हो गये हैं.

सुरेन्द्र कुमार मेहता,

फर्म-अवन्तिका प्रकाशन,

2, रानी लक्ष्मीबाई, मार्ग मालीपुरा,

(567-बी.) उज्जैन (म. प्र.).

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, आगर, जिला आगर

आगर, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014

रा. प्र. क्र. 03/बी-113/2014-15. **प्ररूप क्र.-4**

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (2) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, आगर, जिला आगर मालवा के समक्ष.

अत: कि श्री रंगलाल सोनी पिता श्री विष्णुप्रसाद सोनी, निवासी कस्बा बडोद, तहसील बडोद, जिला आगर (म. प्र.) ने मध्यप्रदेश लोक

न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में श्री मेंढ क्षत्रीय स्वर्णकार समाज ट्रस्ट, कस्बा बडोद, तहसील बडोद, जिला आगर (म. प्र.) में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 19 जनवरी, 2015 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता : श्री मेंढ क्षत्रीय स्वर्णकार समाज ट्रस्ट, कस्बा बडोद, तहसील बडोद, जिला आगर (म. प्र.) में चल सम्पति का अनुमानित मूल्य रुपये 500.00 नगदी (अक्षरी रुपये पाँच सौ मात्र).

जी. एस. डावर,
अनुविभागीय अधिकारी.

(46)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, बण्डा, जिला सागर

प्र. क्र.-4040 बी/121 वर्ष 2013-14. बण्डा, दिनांक 31 दिसम्बर, 2014

मौजा-बरगुवॉ, तह. शाहगढ़, जिला-सागर.

क्र/क/ /री.-1/2014.—एतद्द्वारा सर्व-साधारण को जरिये इश्तहार के द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री श्री 1008 देवगौरी शंकर जी महादेव मंदिर, ग्राम बरगुवॉ, तहसील शाहगढ़, जिला सागर में स्थित है जिसके मुहत्तमकार श्री पूरनसिंह पिता दंगलसिंह प्रबन्धक कलेक्टर सागर हैं. मंदिर के नाम से मौजा बरगुवॉ रा. नि. मण्डल-शाहगढ़ में स्थित भूमि ख. नं. 151, 270,273 रकवा क्रमशः 2.93, 1.85, 1.80 कुल रकवा 6.58 हे. भूमि मंदिर के नाम से दर्ज है. जिसके मुहत्तमकार श्री पूरनसिंह पिता दंगलसिंह थे जो दिनांक 15 सितम्बर, 1974 को फौत हो चुके हैं. मुहत्तमकार के पुत्र ठा. बरजोर सिंह द्वारा इस न्यायालय की ट्रस्ट पंजी में नवीन मंदिर कमेटी के गठन हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

क्र. (1)	प्रस्तावित नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री रामसिंह पिता गुलाबसिंह सा. बरगुवॉ	अध्यक्ष
2.	श्री राजेन्द्र सिंह पिता हरबलसिंह सा. बरगुवॉ	उपाध्यक्ष
3.	श्री बलरामसिंह पिता बरजोर सिंह सा. बरगुवॉ	कोषाध्यक्ष
4.	श्री बरजोरसिंह पिता पूरनसिंह सा. बरगुवॉ	सदस्य
5.	श्री विजयबहादुरसिंह पिता बरजोरसिंह सा. बरगुवॉ	सदस्य
6.	श्री मुलायम सिंह पिता गुलाबसिंह सा. बरगुवॉ	सदस्य
7.	श्री महेन्द्र पाल सिंह पिता गुलाब सिंह सा. बरगुवॉ	सदस्य
8.	श्री बलवन्तसिंह पिता बरजोर सिंह सा. बरगुवॉ	सदस्य
9.	श्री हम्मीर सिंह पिता बरजोर सिंह सा. बरगुवॉ	सदस्य

जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो या अपना सुझाव देना चाहते हों तो वह अपनी लिखित आपत्ति या सुझाव इस न्यायालय में पेशी दिनांक 11 फरवरी, 2015 को न्यायालयीन समय में स्वयं या अपने, अपने वैध अधिकृत व्यक्ति/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. बाद म्याद गुजरने पर आपत्ति या सुझाव को स्वीकार नहीं किया जावेगा.

इश्तहार आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी.

जारी दिनांक 31 दिसम्बर, 2014

पेशी दिनांक 11 फरवरी, 2015

नारायण सिंह ठाकुर,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(47)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, नरसिंहपुर

प्ररूप-क्र. 4

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951(1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों, के पंजीयक नरसिंहपुर जिला के समक्ष.

यह कि इंजी. सुनील कोठारी पुत्र श्री तेजराज कोठरी, निवासी सत्य-सदन कोठारी, निवास तिलक वार्ड कंदेली, तहसील व जिला नरसिंहपुर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 2015 के 19 जनवरी, 2015 के कार्यालयीन दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

नाम .. दादा दूल्हादेव महाराज डोकरघाट, लोक न्यास समिति, जिला नरसिंहपुर

पता .. पोस्ट डोकरघाट, तहसील व जिला नरसिंहपुर

स्थावर (अचल सम्पत्ति का विवरण)

मौजा डोकरघाट न. बं.-589 पं. ह. न.-36 रा. नि. मं.-2, तहसील व जिला नरसिंहपुर से 5 कि. मि. दूर दूल्हादेव तिराहा नामक स्थान पर राजस्व ख. नं.-249/2 में से लगभग 500 वर्गफुट में दादा दूल्हादेव का मंदिर स्थापित है जिसकी निर्माण लागत लगभग 5,00,000 (अंकन पॉच लाख रुपये) है.

(चल सम्पत्ति का विवरण)

न्यास धारियों के संयुक्त नामों से यूनाईटेड कॉमर्शियल बैंक की शाखा डॉगीढ़ाना, जिला नरसिंहपुर में (दिनांक 13 जून, 2014 की स्थिति में जमा राशि)

क्र.	जमा का प्रकार	बचत खाता क्र.	खातेदार का नाम	जमा राशि
1.	बचत खाता	13910100005741	सोबरन सिंह कुर्मी+2	10,32,921.00
2.	बचत खाता	13910110027752	सोबरन सिंह कुर्मी+1	2,22,208.00
3.	सावधि खाता	13910310015124	श्यामलाल कुर्मी+2	10,00,000.00
4.	सावधि खाता	13910310015117	संतोष कुमार+1	10,00,000.00
			योग-	**32,55,129.00**

उक्त सभी राशियाँ यूको बैंक शाखा डॉगीढ़ाना में जमा हैं.

जे. पी. सैयाम,

(49) पंजीयक.

न्यायालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी बासौदा, जिला विदिशा

प्र. क्र. 02/बी-113/2014-15. **प्रारूप-पाँच**

[देखिये नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (1) व 5 (2) के अंतर्गत]

समक्ष :-पंजीयक, लोक न्यास गंजबासौदा, जिला विदिशा के समक्ष

अध्यक्ष श्री कांति भाई शाह पुत्र विशनजी भाई शाह, निवासी मील रोड गंजबासौदा द्वारा श्री रामजानकी मंदिर ट्रस्ट गांधी चौक, गंजबासौदा,

जिला विदिशा का मध्यप्रदेश के लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-2 की उपधारा (4) के अभिप्राय के लिए पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है उक्त ट्रस्ट की चल-अचल सम्पत्ति पंजीयन हेतु मेरे न्यायालय में प्रकरण चल रहा है जिस पर दिनांक 18 फरवरी, 2015 को मेरे द्वारा विचार किया जावेगा.

उक्त लोक न्यास एवं चल-अचल सम्पत्ति के पंजीयन किये जाने के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के अन्दर स्वयं अथवा किसी अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. समयावधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त किसी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1.	न्यास का नाम	:	श्री रामजानकी मंदिर ट्रस्ट गांधी चौक, गंजबासौदा, जिला विदिशा (म. प्र.).
2.	न्यास का कार्यालय	:	गांधी चौक, गंजबासौदा, जिला विदिशा (म. प्र.).
3.	न्यास का कार्य क्षेत्र	:	गंजबासौदा, जिला विदिशा (म. प्र.).
4.	न्यास का उद्देश्य	:	गंजबासौदा एवं आसपास के भक्तजनों और ईश्वर के प्रति आस्थावान लोगों को ईश्वर के प्रति भक्ति भाव जगाकर, मानव सेवा हेतु समर्पित एवं मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन तथा आय-व्यय का प्रबंधन.
5.	न्यास के आय के साधन	:	दान, चंदा आदि.

श्री रामजानकी मंदिर ट्रस्ट गांधी चौक, गंजबासौदा, जिला विदिशा (मध्यप्रदेश) की चल-अचल सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है :-

चल सम्पत्ति	:	30,645/-
अचल सम्पत्ति	:	ग्राम कस्बा बासौदा में 65 बाई 34 फीट में स्थित निर्मित मंदिर है जिसकी अनुमानित कीमत 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये).

ओ. पी. श्रीवास्तव,
रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(21)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, अनुभाग देवास

देवास, दिनांक 27 दिसम्बर, 2014

[पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) व पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

क्र./27256/रीडर-1/2013.—अध्यक्ष श्री बालकिशन भूतडा, निवासी 23, चन्द्रशेखर आजाद मार्ग देवास द्वारा "हरदमलाला बजरंग मंदिर सेवा न्यास" दयानंद चौक, देवास के नाम से पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है. आवेदन-पत्र के साथ ट्रस्ट का घोषणा-पत्र उद्देश्य नियमावली एवं ट्रस्ट की प्रस्तावना एवं उसकी रूपरेखा आदि के साथ संलग्न किया गया है. ट्रस्ट पंजीयन के संबंध में चालान क्रमांक 92 दिनांक 28 मार्च, 2013 से भारतीय स्टेट बैंक, मोतीबंगला शाखा, देवास में पंजीयन शुल्क रुपये 5/- की राशि जमा कर चालान की प्रति संलग्न की गई है.

अतः "हरदमलाला बजरंग मंदिर सेवा न्यास" दयानंद चौक, देवास के पंजीयन हेतु यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा कोई संस्था को किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति आगामी पेशी दिनांक 29 जनवरी, 2015 को समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई.

धीरज श्रीवास्तव,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(22)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,जिला कार्यालय खरगोन

दिनांक 13 जनवरी, 2015

जा. क्र. 42.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि खरगोन निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किए गए निम्नलिखित अतिरिक्त ग्रामों के लिए भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बन्धी मानचित्र को मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार कर सर्व-साधारण की जानकारी हेतु दिनांक 02 फरवरी, 2015 को कार्यालय नगर पालिका परिषद्, खरगोन के सभाकक्ष में प्रकाशन

किया गया है और उसकी एक प्रति—

1. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर.
2. कलेक्टर, जिला खरगोन.
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खरगोन के कार्यालयों में कार्यालयीन समय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

ग्रामों की सूची

खरगोन के निवेश क्षेत्र (वर्धित) में सम्मिलित किए गए खरगोन जिले के अतिरिक्त ग्राम:- (1) मेनगॉव, (2) पिपराटा, (3) भाडली, (4) फाजिलपुरा, (5) बरदीया, (6) दारापुर, (7) सिरपुर, (8) बिरोठी, (9) रणगॉव, (10) बहादरपुरा, (11) मनावर, (12) ममशेदपुरा, (13) खेडी बुजुर्ग, (14) सिनखेडा, (15) आदमपुरा, (16) मोमिनपुरा, (17) मुकलीसपुरा, (18) चौडी, (19) वणार, (20) सांगवी, (21) खतवास, (22) महुकुण्डिया, (23) भसनेर, (24) हीरापुर, (25) जामला, (26) मागरिया, (27) खेडीखानपुरा, (28) तुकलाबाद, (29) सोनीपुरा, (30) बिजलगॉव बुजुर्ग (31) नवाबपुरा, (32) बलवाडी, (33) बेलमार, (34) मांगरूल बुजुर्ग, (35) मांगरूल खुर्द, (36) बीड बुजुर्ग, (37) बिजलगॉव खुर्द, (38) बडगॉव, (39) मेहरजा, (40) डाबरिया, (41) राजपुरा.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किए गए वर्तमान उपयोग सम्बन्धी मानचित्र से सम्बन्धित हो तो उसे कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, 72 महिष्मति भवन, डायवर्शन रोड, खरगोन अथवा प्रकाशन स्थल (नगर पालिका खरगोन) पर मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की कालावधि समाप्त होने के पूर्व सम्यक रूप से प्रस्तुत करें.

अशोक वासुनिया,
सहायक संचालक.

(51)

कार्यालय परिसमापक, आदिवासी महिला मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., देवाड़ा, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन

दिनांक 19 अक्टूबर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./क्यु./2014.—आदिवासी महिला मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., देवाड़ा, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1172, दिनांक 31 मार्च, 1998 है, को उप-आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/परि./2014/761, खरगोन, दिनांक 18 जून, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (सी.ग.) के अन्तर्गत मैं, महेन्द्र ठाकुर, सहकारिता निरीक्षक खरगोन एवं परिसमापक आदिवासी महिला मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., देवाड़ा, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूं कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

(23)

कार्यालय परिसमापक, मॉ अम्बे फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., बोरगॉव, तहसील गोगावॉ, जिला खरगोन

दिनांक 01 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./क्यु./2014.—मॉ अम्बे फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., बोरगॉव, तहसील गोगावॉ, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1508, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 है, को उप-आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/परि./2014/761, खरगोन, दिनांक 18 जून, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (सी.ग.) के अन्तर्गत मैं, महेन्द्र ठाकुर, सहकारिता निरीक्षक खरगोन एवं परिसमापक मॉ अम्बे फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., बोरगॉव, तहसील गोगावॉ, जिला खरगोन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूं कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

महेन्द्र ठाकुर,
सहकारिता निरीक्षक.

(23-A)

कार्यालय परिसमापक जनपद पंचायत, चीचली

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-रजिस्टर, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित परिसमापनाधीन समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम सहकारी समिति	पं. क्र./दिनांक	आदेश क्रमांक / दिनांक
1	2	3	4
1.	चर्मकार सहकारी समिति मर्या., सालीचौका	134/20-03-1965	208/04-05-1991
2.	कृषि यंत्र विश्वकर्मा सह. समिति मर्या., सालीचौका	434/22-08-1995	721/19-08-2009
3.	महावीर तेल उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चीचली	137/	208/04-05-1991
4.	आजाद उप. भंडार सहकारी समिति मर्या., गाडरवारा	589/05-10-2009	283/26-02-2014
5.	कृपा बीज स्वायत्त सहकारिता, सूखा खैरी	38/24-08-2011	160/05-02-1014
6.	शिव शक्ति बीज स्वायत्त सहकारिता, पुंवारिया	83/28-09-2011	162/05-02-2014
7.	आदर्श बीज स्वायत्त सहकारिता इमलिया, पिपरिया	28/12-08-2011	172/05-02-2014
8.	श्री अन्नपूर्णा बीज स्वायत्त सहकारिता, सीरेगांव	69/15-09-2011	927/22-07-2014
9.	मॉ अन्नपूर्णा बीज स्वायत्त सहकारिता, बम्होहीकला	74/22-09-2011	928/22-07-2014

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया है.

एस. एस. भाटी,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(24)

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1606.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रानीबड़ौद, तह. गुलाना, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 150,

दिनांक 25 जनवरी, 1980 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/615, दिनांक 25 जून, 2014 में परिसमापन में लाया गया था. संस्था परिसमापक श्री के. के. कांगले, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 09 अक्टूबर, 2014 को संस्था के सदस्यों की विशेष साधारण सभा बुलाई गई, जिसमें सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने एवं संस्था का कार्य व्यवसाय पुन: प्रारम्भ करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया.

परिसमापक श्री के. के. कांगले, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 में संस्था के सदस्यों के हितों को दृष्टिगत रखकर संस्था को पुनर्जीवित किये जाने की अनुशंसा की गयी है.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदस्यों के व्यापक हित में दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रानीबडौद, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 150, दिनांक 25 जनवरी, 1980 को निम्न शर्तों के साथ पुनर्जीवित किया जाता है :—

1. संस्था प्रस्तुत कार्य योजना अनुसार अपना कार्य व्यवसाय संस्था की उपविधि के अनुरूप करना सुनिश्चित करेगी एवं प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करावेगी.
2. संस्था प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दो माह के भीतर अंकेक्षण हेतु संस्था के वित्तीय पत्रक एवं अन्य अभिलेख कार्यालय में अनिवार्यत: प्रस्तुत करेगी.
3. संस्था की तदर्भ प्रबंधकारिणी समिति तीन माह के भीतर निर्वाचन कराये जाने हेतु विधिवत प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत करेगी.
4. नामांकित अवधि में संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना अनुसार संचालन न करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.
5. संस्था की पुरानी लाभ, हानि एवं समस्त देनदारी, लेनदारी के निराकरण की जिम्मेदारी संस्था की होगी.

संस्था की विशेष आमसभा में पारित प्रस्ताव अनुसार निम्नांकित कार्यकारिणी समिति नामांकित की जाती है, तो उपर्युक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी.—

क्रमांक	नाम	पता	पद
1	2	3	4
1.	श्री कमलसिंह/गणपत सिंह	ग्राम रानीबड़ौद	अध्यक्ष
2.	श्री केदारसिंह/मांगीलाल	,,	उपाध्यक्ष
3.	श्री कुमेरसिंह/भवर	,,	संचालक
4.	श्री जगन्नाथ/उमरावसिंह	,,	संचालक
5.	श्री देवकरण/भागीरथ	,,	संचालक
6.	श्री खुशीलाल/बालचन्द्र	,,	संचालक
7.	श्री शिवनारायण/आत्माराम	,,	संचालक
8.	श्री कमलसिंह/भागीरथ	,,	संचालक
9.	श्री राजमल/जयनारायण	,,	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 8 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

आर. के. मालवीय,

(25) उप-पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक पदमालय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 19 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम,1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

पदमालय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील व जिला इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 667, दिनांक 31 मार्च, 1997 है,

को उप-आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक/परि./3757, दिनांक 20 नवम्बर, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-क के अंतर्गत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए धारा-18-क (2) के अंतर्गत मुझे नाम- एस. एन. खण्डेलवाल, पद सहकारी निरीक्षक, जिला इन्दौर को समानुदेशिती नियुक्त किया गया है.

अत: आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों/सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों का इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (ऑडिट) सहकारी संस्थाऐं, श्रमशिविर, जेल रोड, इन्दौर में कार्यालयीन समय में शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सावकार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किए गए समझे जावेंगे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(26)

कार्यालय परिसमापक सिद्दी विनायक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 19 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम,1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

सिद्धी विनायक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील व जिला इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 666, दिनांक 27 मार्च, 1997 है, को उप-आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक/परि./3758, दिनांक 20 नवम्बर, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-क के अंतर्गत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए धारा-18-क (2) के अंतर्गत मुझे नाम—एस. एन. खण्डेलवाल, पद सहकारी निरीक्षक, जिला इन्दौर को समानुदेशिती नियुक्त किया गया है.

अत: आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों/सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों का इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (ऑडिट) सहकारी संस्थाऐं, श्रमशिविर, जेल रोड, इन्दौर में कार्यालयीन समय में शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सावकार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किए गए समझे जावेंगे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस एन. खण्डेलवाल,
समानुदेशिती.

(26-A)

कार्यालय परिसमापक पंचरत्न गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 19 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम,1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

पंचरत्न गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील व जिला इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 757, दिनांक 30 जुलाई, 1998 है, को उप-आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक/परि./3405, दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-क के अंतर्गत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए धारा-18-क (2) के अंतर्गत मुझे नाम—एस. के. व्यास, पद सहकारी निरीक्षक, जिला इन्दौर को समानुदेशिती नियुक्त किया गया है.

अत: आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों/सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों का इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (ऑडिट) सहकारी संस्थाऐं, श्रमशिविर, जेल रोड, इन्दौर में कार्यालयीन समय में शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सावकार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किए गए समझे जावेंगे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. के. व्यास,
समानुदेशिती.

(27)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	परिसमपित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	विकास खण्ड
1.	वसुन्धरा रेशम औद्योगिक सह. संस्था मर्या., मानागांव	2999/25-08-2008	क्र./परि./2014/742, दिनांक 29-03-2014	बाबई
2.	दुग्द उत्पादक सह. समिति, कुण्डकला	2927/19-04-2007	क्र./परि./2014/740, दिनांक 29-03-2014	सिवनी मालवा
3.	नर्मदा महिला औद्योगिक सह. समिति, डोगरवाडा	2991/05-08-2008	क्र./परि./2014/741, दिनांक 29-03-2014	होशंगाबाद
4.	मां वैष्णव प्राथमिक बहु. सह. संस्था, राईखेडी	2763/11-06-2002	क्र./परि./2014/743, दिनांक 29-03-2014	पिपरिया

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं से मुझे प्रभार में किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड या दस्तावेज तथा डैड स्टॉक आदि प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) का उपयोग करते हुए मैं, एम. के. महतों, उप-अंकेक्षक, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत यह सूचित करता हूं कि यदि उक्त संस्थाओं से किसी भी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी /देनदारी या दावे प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना जारी होने के 2 माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत दावों (क्लेमों) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा जिसके लिये संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्ति रूप से उत्तरदायी रहेगा. संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास हो तो वह 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर दे अन्यथा ऐसा व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा.

एम. के. महतों,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(28)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर

नरसिंहपुर, दिनांक 22 जुलाई, 2014

क्र./परि./13-14/927.—अध्यक्ष, श्री अन्नपूर्णा बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता, सीरेगांव पंजीयन क्रमांक 69, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर के द्वारा हस्तलिखित पत्र दिनांक 4 अप्रैल, 2014 एवं संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 6 फरवरी, 2014 का

प्रस्ताव, ठहराव पारित कर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें लेख किया गया कि संस्था ने पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक कोई कार्य नहीं किया है तथा संस्था के सदस्य भविष्य में संस्था में कार्य करना नहीं चाहते संस्था को परिसमापन में लाया जावे.

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था को अकार्यशील बताये जाने के कारण संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु उनका स्वलिखित पत्र स्वीकार कर लिया गया है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप- रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री अन्नपूर्णा बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता, सीरेगांव पंजीयन क्रमांक 69, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ और सोसायटी आस्तियों दायित्वों का विधिवत् निपटारा कर कामकाज समेटने के लिये श्री एस. एस. भाटी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत, चीचली जिला नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा-70 (1) के अधीन परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

(29)

नरसिंहपुर, दिनांक 22 जुलाई, 2014

क्र./परि./13-14/928.—अध्यक्ष, मॉ अन्नपूर्णा बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता, बम्होरी कला, पंजीयन क्रमांक 64, दिनांक 22 सितम्बर, 2011 तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर के द्वारा हस्तलिखित पत्र दिनांक 4 अप्रैल, 2014 एवं संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 31 मार्च, 2014 का प्रस्ताव, ठहराव पारित कर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें लेख किया गया कि संस्था ने पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक कोई कार्य नहीं किया है तथा संस्था के सदस्य भविष्य में संस्था में कार्य करना नहीं चाहते संस्था को परिसमापन में लाया जावे.

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था को अकार्यशील बताये जाने के कारण संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु उनका स्वलिखित पत्र स्वीकार कर लिया गया है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप- रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मॉ अन्नपूर्णा बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता, बम्होरी कला पंजीयन क्रमांक 64, दिनांक 22 सितम्बर, 2011 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ और सोसायटी आस्तियों दायित्वों का विधिवत् निपटारा कर कामकाज समेटने के लिये श्री एस. एस. भाटी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत, चीचली जिला नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा-70 (1) के अधीन परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

(29-A)

नरसिंहपुर, दिनांक 22 जुलाई, 2014

क्र./परि./13-14/929.—अध्यक्ष, विवेकानन्द बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता, मेहरागांव, पंजीयन क्रमांक 65, दिनांक 13 सितम्बर, 2011 तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर के द्वारा हस्तलिखित पत्र दिनांक 8 फरवरी, 2014 एवं संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 15 जनवरी, 2014 का प्रस्ताव, ठहराव पारित कर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें लेख किया गया कि संस्था ने पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक कोई कार्य नहीं किया है तथा संस्था के सदस्य भविष्य में संस्था में कार्य करना नहीं चाहते संस्था को परिसमापन में लाया जावे.

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था को अकार्यशील बताये जाने के कारण संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु उनका स्वलिखित पत्र स्वीकार कर लिया गया है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप- रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मॉ अन्नपूर्णा बीज उत्पादक स्वायत्त

सहकारिता मर्या., मेहरागांव, पंजीयन क्रमांक 65, दिनांक 13 सितम्बर, 2011 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ और सोसायटी आस्तियों दायित्वों का विधिवत् निपटारा कर कामकाज समेटने के लिये श्री आर. एस. रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत, साँईखेडा जिला नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा-70 (1) के अधीन परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

डी. पी. सिंह,
उप-रजिस्ट्रार.

(29-B)

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन संभाग, उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 21 नवम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18- ए/क (1),(2), (3) के तहत्]

क्र./परि./2014/1883.—संजय ग्राम विपणन सहकारी संस्था मर्या., घट्टिया, जिला उज्जैन (पंजीयन क्रमांक/डी.आर.यू.जे.एन./1736, दिनांक 08 दिसम्बर, 2009) के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में दायर रिट पिटीशन क्रमांक 538/2013 में जारी आदेश दिनांक 16-12-2013 के परिपालन में प्रकरण की जाँच आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, म. प्र. भोपाल के निर्देशानुसार श्री बी. एस. वास्केल, संयुक्त आयुक्त मुख्यालय, भोपाल द्वारा की गई. जाँच अधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन मुख्यालय को प्रस्तुत किया जाकर प्रतिवेदन मुख्यालय के पत्र क्रमांक/विप./विसस/2014/742, दिनांक 06-05-2014 से इस कार्यालय को प्रेषित किया जाकर संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क के अंतर्गत कार्यवाही के निर्देश दिये गये. तत्संबंध में उपायुक्त सहकारिता, जिला उज्जैन से अधिनियम की धारा-18 ए/क (1) का प्रस्ताव, संस्था के पंजीयन से संबंधित नस्ती एवं अन्य दस्तावेज सहित चाहे गये. उपायुक्त सहकारिता, जिला उज्जैन द्वारा उक्त विषयक प्रस्ताव एवं नस्ती अपने पत्र क्रमांक/पंजीयन/2014/1402, दिनांक 20-06-2014 से इस कार्यालय को प्रेषित की गई. जाँच प्रतिवेदन अनुसार संस्था द्वारा आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, म. प्र., भोपाल के परिपत्र क्रमांक/3719, दिनांक 29-11-1990 की कंडिका क्रमांक 2.2.6 एवं 11 का स्पष्ट उल्लंघन किया जाने से एवं संस्था की अवैध पंजीयन की शिकायत में जाँच अधिकारी द्वारा 44 प्रवर्तक सदस्यों को पंजीयन के समय विभिन्न आधारों पर उनकी सदस्यता वैधानिक होना नहीं बतलाया है तथा पंजीयन प्रस्ताव के अ एवं ब पत्रक में भी फेरबदल करना पाया गया है. 44 सदस्यों की सदस्यता समाप्त की गई है. तथा 18 अन्य सदस्यों की सदस्यता भी उनके आवेदन अनुसार समाप्त की गई है. प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख है कि पूर्व जाँच अधिकारी श्री परिहार द्वारा 44 सदस्यों की सदस्यता अवैध बताई गई है और संस्था के शेष सदस्यों की वैधता के संबंध में भी जाँच अधिकारी द्वारा शंका जाहिर की गई है. इससे स्पष्ट है कि संस्था के प्रवर्तक सदस्यों द्वारा दुर्व्यपदेशन कर संस्था का पंजीयन कराया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18- ए/क (1)के प्रावधान अनुसार ''यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि कोई सोसायटी उसके आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर रजिस्ट्रीकृत कर दी गई है या जहाँ सोसायटी का कार्य पूर्ण हो चुका है या जिन प्रयोजनों के लिये सोसायटी रजिस्ट्रीकृत की गई है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है या उस सोसायटी ने जो सहकारी बैंक या विकास बैंक से भिन्न हो, शब्द ''बैंक'', ''बैंकर'', ''बैंकिंग'' और शब्द ''बैंक'' की कोई अन्य व्युत्पत्ति का प्रयोग किया है, तो वह उसके प्रमुख सम्प्रवर्तक, संचालक मंडल और सोसायटी के सदस्यों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर सकेगा.

इस प्रकार आयुक्त, सहकारिता द्वारा कराई गई जाँच एवं उनके पत्र क्रमांक/विप./विसस/2014/742, दिनांक 06-05-2014 में दिये गये निर्देश अनुसार तथा जाँच में पाये गये निष्कर्षों के आधार पर संजय ग्राम विपणन सहकारी संस्था मर्या., घट्टिया, जिला उज्जैन द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किये जाने एवं प्रवर्तक सदस्यों द्वारा दुर्व्यपदेशन कर संस्था का पंजीयन कराये जाने से क्यों न संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर दिया जाए. इस संबंध में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18- ए/क (1) के अंतर्गत संस्था के प्राधिकृत अधिकारी/प्रवर्तक सदस्यों/सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए इस संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिमसापन/2014/957, दिनांक 26-06-2014 जारी किया जाकर दिनांक 28-07-2014 नियत की गई साथ ही प्रवर्तक सदस्यों/सदस्यों को सूचित करने हेतु स्थानीय समाचार-पत्र में जाहिर सूचना प्रकाशित की गई एवं संस्था के सदस्यों की संख्या अधिक होने से उप-नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर को राजपत्र में प्रकाशन करने हेतु निवेदन किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में शासकीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा दिनांक 18 जुलाई, 2014 को राजपत्र में सूचना-पत्र प्रकाशित किया गया. जारी कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था प्रबंधक द्वारा दिनांक 28-07-2014 को 316 सदस्यों में से 238 सदस्यों को एवं 16 समितियों को तामील कराते हुए तामिली रिपोर्ट पेश की एवं शेष सदस्यों को स्पीड पोस्ट से सूचना-पत्र प्रेषित किये गये.

नियत दिनांक 28-07-2014 को प्रकरण में संस्था प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित हुए साथ ही अनावेदकगण 52 प्रवर्तक सदस्यों की ओर से अभिभाषक श्री अजीत मिश्रा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा कुछ और सदस्यों की ओर से वकालतनामा पेश करने हेतु समय चाहा गया. उन्हें समय दिया जाकर आगामी पेशी दिनांक 13-08-2014 नियत की गई. नियत दिनांक को अभिभाषक श्री अजीत मिश्रा द्वारा अनावेदकगणों की हस्ताक्षरित सूची के साथ 02 वकालतनामा पेश किये गये. प्रवर्तक सदस्य श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री बालूसिंह की ओर से अभिभाषक श्री अजीत मिश्रा द्वारा उनके जवाब मय शपथ-पत्र के पेश किये गये. शेष अनावेदकगणों की ओर से अभिभाषक द्वारा समय चाहा गया. उन्हें समय प्रदान किया जाकर आगामी पेशी दिनांक 20-08-2014 नियत की गई. नियत दिनांक को अनावेदकगण अभिभाषक श्री अजीत मिश्रा द्वारा पृथक्-पृथक् 02 आवेदन जवाब मय सदस्यों की हस्ताक्षरित सूची एवं शपथ-पत्र सहित पेश किये गये. अनावेदकगण अभिभाषक की ओर से एक आवेदन संजय ग्राम विपणन सहकारी संस्था मर्या., घट्टिया की वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 की आडिट रिपोर्ट पेश करने हेतु समय चाहा गया. न्यायहित में अनावेदकगण अभिभाषक को उक्त दस्तावेज पेश करने एवं तर्क हेतु समय प्रदान किया गया. अनावेदकगण अभिभाषक श्री धीरज गौभुज द्वारा उपस्थित होकर 04 सदस्यों की ओर से वकालतनामा पेश किया गया साथ ही उनके द्वारा एक आवेदन संजय ग्राम विपणन सहकारी संस्था मर्या., घट्टिया के प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज, रिकॉर्ड, जवाब प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध कराने बाबत निवेदन किया गया. उन्हें आवेदन में चाहे गये दस्तावेज उपलब्ध करवाये गये. अभिभाषक श्री धीरज गौभुज द्वारा पेश वकालतनामा अनुसार जवाब/दस्तावेज/तर्क हेतु आगामी पेशी दिनांक 27-08-2014 नियत की गई. नियत दिनांक को अनावेदकगण अभिभाषक श्री धीरज गौभुज द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा-151 सी.पी.सी., दिनांक 23-08-2014 को रिकॉर्ड पर लिया गया. शिकायतकर्ता श्री ओमप्रकाश बैरागी द्वारा एक आवेदन स्वयं की सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु पेश किया गया. जिसकी एक प्रति अनावेदकगण अभिभाषक को प्रदाय की गई. अनावेदकगण 10 सदस्यों की ओर से हस्ताक्षरित वकालतनामा एवं सूचना-पत्र अंतर्गत धारा- 80 सी. पी. सी. के अंतर्गत अभिभाषक श्री योगेश गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया. अनावेदकगण 05 सदस्यों की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र साबू द्वारा वकालतनामा पेश किया गया. उक्त आवेदनों के जवाब/दस्तावेज/तर्क हेतु आगामी पेशी दिनांक 02-09-2014 नियत की गई. नियत दिनांक को अनावेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री अजीत मिश्रा द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये. आपत्तिकर्ता श्री ओमप्रकाश बैरागी को अंतिम तर्क के समय अपना पक्ष/तर्क पेश करने हेतु आगामी पेशी दिनांक 15-09-2014 नियत की गई. नियत दिनांक को अनावेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री योगेश गोस्वामी द्वारा शिकायतकर्ता श्री बैरागी द्वारा पूर्व दिनांक को पेश आवेदन का विरोध करते हुए जवाब प्रस्तुत किया गया. प्रकरण में आपत्तिकर्ता श्री ओमप्रकाश बैरागी को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया जाकर केवल अंतिम तर्क के समय अपना पक्ष पेश करने हेतु अवसर दिया गया है. अत: अभिभाषक श्री योगेश गोस्वामी द्वारा पेश जवाब/आवेदन का तद्नुसार निराकरण किया गया. आगामी पेशी दिनांक 29-09-2014 को अनावेदक अभिभाषक श्री अजीत मिश्रा, अभिभाषक श्री धीरज गौभुज एवं आपत्तिकर्ता श्री बैरागी उपस्थित हुए. अन्य कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी दिनांक 09-10-2014 नियत की गई. पेशी दिनांक 09-10-2014 को अनावेदकगण तर्फे अभिभाषक श्री अजीत मिश्रा एवं आपत्तिकर्ता उपस्थित हुए. शेष के लिखित तर्क हेतु दिनांक 16-10-2014 नियत की गई. पेशी दिनांक 16-10-2014 को अभिभाषक श्री अजीत मिश्रा, अभिभाषक श्री धीरज गौभुज उपस्थित हुए व आगामी पेशी दिनांक 20-10-2014 के बाद दिनांक 31-10-2014 नियत की गई. पेशी दिनांक 31-10-2014 को अनुपस्थित अनावेदकगणों को दिनांक 11-11-2014 तक लिखित तर्क पेश करने का अवसर देते हुए प्रकरण में अंतिम आदेश हेतु दिनांक 21-11-2014 नियत की गई. दिनांक 11-11-2014 को प्रवास पर होने से प्रकरण दिनांक 12-11-2014 को अनावेदक अभिभाषक श्री धीरज गौभुज के उपस्थित होने पर व उनके निवेदन पर लिया गया. अभिभाषक श्री गौभुज ने पूर्व में पेश आवेदन दिनांक 23-08-2014 को अपना लिखित तर्क होना व्यक्त किया व प्रकरण में पूर्ववत आदेश हेतु दिनांक 21-11-2014 नियत की गई. संस्था सदस्यों के अभिभाषक श्री अजीत मिश्रा द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में पेश लिखित उत्तर में उल्लेखित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट पिटीशन में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया था और मुख्यालय के जांच अधिकारी श्री बी. एस. बास्केल द्वारा की गई जाँच बिना सुनवाई के की गई है. अधिनियम की धारा-18 (ए)/क के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करने का अधिकारी संयुक्त पंजीयक को नहीं है. संस्था नियमानुसार कार्य कर रही है व 44 सदस्य भी संस्था के गठन के समय शामिल थे. उनके द्वारा किसी प्रकार का दुर्व्यपदेशन नहीं करते हुए संस्था का विधिवत् पंजीयन कराया गया है. जाँच अधिकारी की शंका मात्र के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त नहीं किया जाना चाहिए. अत: कारण बताओ सूचना-पत्र निरस्त किया जावे. अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने उत्तर के साथ सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित वकालतनामा व जवाब पर सदस्यों के हस्ताक्षर कराते हुए जवाब पेश किया है. प्रकरण में अनावेदक सदस्यगणों की ओर से अभिभाषक श्री धीरज गौभुज द्वारा दिनांक 23-08-2014 को पेश आवेदन को ही अपना लिखित तर्क होना व्यक्त किया है. अभिभाषक श्री गौभुज ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इंदौर में दायर रिट पिटीशन एवं श्री बी. एस. बास्केल, संयुक्त पंजीयक मुख्यालय की जांच रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध नहीं करायी गई है. श्री बास्केल द्वारा जाँच की कार्यवाही एकतरफा की गई है. संस्था विधिवत् सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य कर रही है एवं अधिनियम की धारा-18 (1) के तहत् समस्त सदस्यों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर आदेश पारित किया जाना चाहिए. संस्था द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है. संस्था का रेकार्ड तलब किया जाकर कार्यवाही की जाना चाहिए. आवेदन में उल्लेखित किया है कि संस्था का विधिवत् पंजीयन धारा-9 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है जिसमें पंजीयक के परिपत्र का पालन किया है. जाँच अधिकारी श्री बास्केल का जाँच प्रतिवेदन निराधार है. संस्था मुख्यालय पर कृषि उपज मंडी है. अत: श्री बास्केल के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर क्या-क्या दस्तावेज रहे हैं उनको तलब किया जाकर प्रकरण में आदेश पारित किया जाना चाहिए. उपरोक्तानुसार अभिभाषक श्री धीरज गौभुज द्वारा अपने आवेदन में उल्लेखित जवाब को ही तर्क होना व्यक्त किया है.

संस्था की ओर से अभिभाषक श्री योगेश गोस्वामी द्वारा आवेदन में उल्लेखित किया है कि कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में दस्तावेज उपलब्ध कराये जावें तथा अवैधानिक रूप से संस्था के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जावे.

प्रवर्तक सदस्य श्री जितेन्द्रसिंह डोडिया, श्री बालूसिंह पंवार द्वारा अपने लिखित तर्क में उल्लेख किया है कि संस्था का पंजीयन विधिवत् रूप से किया गया है. संस्था के उपाध्यक्ष श्री बैरागी की जानकारी में पंजीयन हुआ है संस्था विधिवत् रूप से संचालित है उसमें किसी प्रकार की आर्थिक आरोप नहीं है. संस्था का विधिवत् ऑडिट कराया जा रहा है. संस्था का पंजीयन दुर्व्यपदेशन के आधार पर नहीं कराया गया है. श्री बी. एस. बास्केल, संयुक्त पंजीयक, मुख्यालय की जाँच रिपोर्ट प्रिज्यूडीश है. जाँच प्रतिवेदन में पंजीयन निरस्त करने का कोई आधार नहीं है. अत: जारी कारण बताओ सूचना-पत्र निरस्त किया जावे.

प्रवर्तक सदस्यों की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषकों द्वारा पेश लिखित आवेदन पर मुख्यालय के जाँच अधिकारी श्री बी. एस. बास्केल द्वारा की गई जाँच का प्रतिवेदन जो मुख्यालय से प्राप्त हुआ है, उसका अवलोकन किया गया. प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेज संस्था की पंजीयन नस्ती, जाँच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया. विद्वान अभिभाषक श्री धीरज गौभुज को श्री बास्केल की जाँच प्रतिवेदन पेशी दिनांक 20-08-2014 को उपलब्ध कराया गया. उपायुक्त, उज्जैन द्वारा प्रेषित अधिनियम की धारा-18 (क)/1 प्रस्ताव का अवलोकन किया. संस्था सदस्यों के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं मुख्यालय के जाँच अधिकारी श्री बी. एस. बास्केल द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन पंजीयक सहकारिता, भोपाल के पत्र दिनांक 06-5-2014 एवं उपायुक्त सहकारिता, उज्जैन द्वारा प्रेषित प्रस्ताव धारा-18 (क)/(1) के अवलोकन से एवं उन पर विचार उपरांत यह स्पष्ट है कि संस्था के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय म. प्र. खंडपीठ, इंदौर में दायर रीट पिटीशन नंबर 538/2013 में पारित आदेश दिनांक 16-12-2013 के परिप्रेक्ष्य में संस्था की जाँच मुख्यालय के संयुक्त पंजीयक द्वारा की जाकर जाँच प्रतिवेदन अनुसार संस्था के विरुद्ध अधिनियम की धारा-18 (क)/(1) के तहत् कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये थे. उक्त परिप्रेक्ष्य में कार्यालय द्वारा अधिनियम की धारा-18/क (1) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अधिनियम की धारा-18 (क)/(1) के प्रावधान अनुसार संस्था सदस्यों को तामिल कराया गया. कारण बताओ सूचना-पत्र स्थानीय समाचार-पत्र में प्रकाशन के साथ ही म. प्र. राजपत्र में भी संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये प्रकाशित कराये गये. सूचना-पत्र के संबंध में सदस्यों की ओर से अभिभाषकगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया. मुख्यालय द्वारा करायी गयी जाँच में संस्था के पंजीयन के समय 44 सदस्यों की सदस्यता वैधानिक नहीं पायी गयी. जाँच के समय यह पाया गया कि पंजीयक के परिपत्र दिनांक 29-11-1990 के बिन्दु क्रमांक-2 अनुसार संस्था के पंजीयन के समय प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को सदस्य बनाया जाना अनिवार्य है किन्तु संस्था के पंजीयन के समय प्राथमिक संस्थाओं को सदस्य नहीं बनाया गया है. पंजीयक के उक्त परिपत्र की कंडिका-6 का पालन भी नहीं किया गया है. संस्था के प्रवर्तक सदस्यों द्वारा पंजीयन के समय 44 सदस्यों को अवैध तरीके से संस्था की सदस्यता प्रदान करते हुए दुर्व्यपदेशन कराते हुए संस्था का पंजीयन कराया जाना मुख्यालय के जाँच अधिकारी श्री बास्केल की जाँच रिपोर्ट में एवं पूर्व जाँच अधिकारी श्री जी. डी. परिहार की जांच रिपोर्ट में पाया गया है. उक्त जाँच रिपोर्ट कारण बताओ सूचना-पत्र के आधार पर, संस्था सदस्यों के विद्वान अभिभाषक को सुनवाई के दौरान उपलब्ध भी करायी गयी है. मुख्यालय के जाँच अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अथवा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अमान्य अथवा स्थगित भी नहीं किया गया है. इसलिये प्रवर्तक सदस्यों के विद्वान अभिभाषकगणों का यह तर्क कि माननीय उच्च न्यायालय में दायर पिटीशन में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया था एवं मुख्यालय के जाँच अधिकारी का जाँच प्रतिवेदन प्रिज्यूडीश है, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है. माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका क्रमांक/538/2013 में संस्था को पक्षकार बनाया गया था यह तथ्य माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 16-12-2013 से स्पष्ट है. अत: सदस्यों के विद्वान अभिभाषक द्वारा इस वाबत् दिया तर्क स्वीकार योग्य नहीं है. अधिनियम की धारा-18 (क) (1) के वैधानिक प्रावधान अनुसार संस्था के सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र तामिल कराया गया है एवं उनकी ओर से प्रस्तुत जवाब पर भी उपरोक्त विवेचन अनुसार विचार करते हुए यह पाया जाता है कि संजय ग्राम विपणन सहकारी संस्था मर्या., घट्टिया का पंजीयन, पंजीयन के समय 44 सदस्यों को प्रवर्तक सदस्यों द्वारा अवैधानिक रूप से सदस्यता देते हुए दुर्व्यपदेशन के आधार पर संस्था का पंजीयन कराया गया. अत: उपरोक्त विवेचन अनुसार संजय ग्राम विपणन सहकारी संस्था मर्या., घट्टिया (पंजीयन क्रमांक/डी.आर. उज्जैन/1736, दिनांक 08 दिसम्बर, 2009) का पंजीयन अधिनियम की धारा-18 (क) (1) के तहत् समाप्त किया जाता है तथा अधिनियम की धारा 17 (क) (2) अनुसार सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घट्टिया को संस्था का शासकीय समानुदेशित नियुक्त किया जाता है. शासकीय समानुदेशित धारा-18/क (3) अनुसार कार्यवाही करते हुए इस आदेश दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के भीतर संस्था की आस्तियों की वसूली और दायित्वों का परिसमापन/निराकरण करते हुए प्रतिवेदन उपायुक्त, सहकारिता, जिला उज्जैन को प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से पारित किया गया.

व्ही. पी. मारण,
संयुक्त पंजीयक.

(30)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/623, दिनांक 22 अप्रैल, 2009 द्वारा श्री माया साख सहकारिता मर्या., बड़नगर, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 59, दिनांक 17 जून, 2003 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सी. एस. असोड़िया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(31)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/55, दिनांक 09 जनवरी, 1996 द्वारा पीतल पात्र निर्माण एवं औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 617, दिनांक 19 दिसम्बर, 1957 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(31-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2093, दिनांक 25 जून, 1983 द्वारा श्रमिक ईंट उद्योग सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन घुरेरी, तहसील एवं जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 592, दिनांक 22 सितम्बर, 1982 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. जोशी, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(31-B)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 25 नवम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./शा. समु./क्यू/2014.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, संभाग उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2014/1883, उज्जैन, दिनांक 21 नवम्बर, 2014 के द्वारा मुझे संजय ग्राम विपणन सहकारी संस्था मर्या., घट्टिया का शासकीय समनुदेशिती नियुक्त किया है.

अत: मैं, एस. के. मालवीय, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 25 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

एस. के. मालवीय,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(32)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

श्री सदगुरू महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, सदगुरू नगर, तहसील लटेरी ने अपने पत्र दिनांक 18 जून, 2014 में उल्लेख किया है कि संस्था पंजीयन दिनांक से ही कार्य नहीं कर रही है तथा न ही सदस्य इसे संचालित करने में रुचि रखते हैं. संस्था द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने तथा पंजीयन निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है.

संस्था अध्यक्ष के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना -पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2014/731, विदिशा दिनांक 08 अगस्त, 2014 जारी किया गया कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, श्री सदगुरू महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, सदगुरू नगर, तहसील लटेरी, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./781, दिनांक 09 जून, 2011 का परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड लटेरी को धारा-70 के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(33)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

रघुवंशी बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता मर्या., आगासौद, तहसील बासौदा ने अपने पत्र दिनांक 28 नवम्बर, 2014 में उल्लेख किया है कि संस्था ने पंजीयन दिनांक से कोई विशेष कार्य नहीं किया है, अब सहकारी अधिनियम में परिवर्तन नहीं चहती है. कृपया पंजीयन निरस्त कराने का कष्ट करें.

सहकारिता अध्यक्ष के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि सहकारिता निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त सहकारिता में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण सहकारिता को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, रघुवंशी बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता मर्या., आगासौद, तहसील बासौदा, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./57, दिनांक 23 जून, 2008 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त सहकारिता को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त सहकारिता विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 को जारी करता हूँ.

(33-A)

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/98/602, विदिशा, दिनांक 21 मई, 1998 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खेरूआहाट, तहसील एवं जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./443, दिनांक 27 मई, 1992 को परिसमापन में लाया जाकर श्री पी. के. मोहता, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खेरूआहाट, तहसील एवं जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खेरूआहाट, तहसील एवं जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./443, दिनांक 27 मई, 1992 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(33-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप अनुसार सहकारी समितियों जो स्वायत्त अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत पंजीकृत रहने की अवधि में संस्था द्वारा स्वयं ही परिसमापक नियुक्त कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये है. उक्त स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 को शासन द्वारा विलोपित होने के कारण उक्त सहकारिताएं अब सहकारी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत है. अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत विधिवत अंतिम प्रतिवेदन हेतु निम्नलिखित परिसमापक को नियुक्त करता है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की

शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ तथा समितियों की नियमानुसार परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत प्रारूप के कॉलम-6 में उल्लेखित अधिकारी को समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ:—

प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	संशोधित पंजीयन नम्बर	नियुक्त परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	जनहित साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन	22/01-08-2003	1725/10-03-2014	श्री नवीन मुहावरे, सह. निरीक्षक.
2.	जनसहयोग साख सहकारिता मर्या., खरगोन	63/28-02-2005	1765/10-03-2014	श्री आर. के. महाजन, सह. निरीक्षक.
3.	पंडित दीनदयाल साख सहकारिता मर्यादित, मण्डलेश्वर.	93/19-12-2005	1795/10-03-2014	श्री एस. आर. कोचले, वरि. सह. निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(34)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप अनुसार सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र समितियों के द्वारा आवेदन करने पर जारी किये गये थे. जारी सूचना-पत्र की अवधि व्यतीत हो जाने उपरान्त भी संस्था की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ. इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को प्रेषित कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं सूचना-पत्र के आरोप स्वीकार हैं.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

समितियों की नियमानुसार परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत प्रारूप के कॉलम-6 में उल्लेखित अधिकारी को समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ:—

प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	संशोधित पंजीयन नम्बर	जारी सूचना पत्र क्रमांक व दिनांक	नियुक्त परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6
1.	स्वामी समर्थ साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन.	122/18-04-2007	1823/10-03-2014	1158/01-09-2014	श्री नवीन मुहावरे, सह. निरीक्षक.
2.	पतंजली सहकारिता मुद्रणालय मर्यादित, खरगोन.	192/01-06-2010	1893/10-03-2014	1158/01-09-2014	श्री आर. के. रोमडे, सह. निरीक्षक.
3.	श्री लक्ष्मी क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमि. खरगोन.	87/09-11-2005	1789/10-03-2014	1158/01-09-2014	श्री नवीन मुहावरे, सह. निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 01 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(34-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप अनुसार सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र समितियों के अकार्यशील होने पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक टीप प्रस्तुत नहीं करने अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से ''डी'' वर्ग प्राप्त होने, समितियों द्वारा अधिनियमों एवं नियमों के पालन न करने से एवं समितियों के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी सूचना-पत्र की अवधि व्यतीत हो जाने उपरान्त भी संस्था की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ. इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को प्रेषित कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं सूचना-पत्र के आरोप स्वीकार है.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

समितियों की नियमानुसार परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत प्रारूप के कॉलम-6 में उल्लेखित अधिकारी को समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ:—

प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	संशोधित पंजीयन नम्बर	जारी सूचना पत्र क्रमांक व दिनांक	नियुक्त परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6
1.	आदिवासी कर्मचारी साख मर्यादित, खरगोन.	76/01-07-2005	1778/10-03-2014	1158/01-09-2014	श्री बी. एल. सोलंकी, सह. वि. अधि.
2.	श्रीनाथ साख सहकारिता मर्यादित, महेश्वर.	78/07-07-2005	1780/10-03-2014	1158/01-09-2014	श्री पी. सी. सोलंकी, व. स. नि.
3.	संस्कार साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन.	79/12-07-2005	1781/10-03-2014	1158/01-09-2014	श्री नवीन मुहावरे, सह. निरीक्षक.
4.	पूर्णानंद साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन.	81/19-07-2005	1783/10-03-2014	1158/01-09-2014	श्री बी. एल. सोलंकी, सह. वि. अधि.
5.	कृष्णा साख सहकारिता मर्यादित, सोनखेडी.	82/19-07-2005	1784/10-03-2014	1158/01-09-2014	श्री बसंत यादव, सह. वि. अधि.
6.	श्रद्धा साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन.	83/19-07-2005	1785/10-03-2014	1158/01-09-2014	श्री आर. के. महाजन, सह. निरीक्षक.
7.	श्रीराम साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन.	84/19-07-2005	1786/10-03-2014	1158/01-09-2014	श्री आर. के. महाजन, सह. निरीक्षक.
8.	महालक्ष्मी साख सहकारिता मर्यादित, बडवाह.	88/28-11-2005	1790/10-03-2014	1158/01-09-2014	श्री संतोष जोशी, व. स. नि.
9.	राजश्री साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन.	91/08-12-2005	1793/10-03-2014	1158/01-09-2014	श्री आर. के. महाजन, सह. निरीक्षक.
10.	आर. आर. बी. साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन.	92/08-12-2005	1794/10-03-2014	1158/01-09-2014	श्री केशव पांडे, वरि. सह. निरी.
11.	म. प्र. विद्युत कर्मचारी साख सहकारिता मर्यादित, भीकनगांव.	94/08-12-2005	1796/10-03-2014	1158/01-09-2014	श्री नवीन मुहावरे, सह. निरीक्षक.
12.	केशव माधव स्वायत्त साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन.	97/08-12-2005	1799/10-03-2014	1158/01-09-2014	श्री नवीन मुहावरे, सह. निरीक्षक.

1	2	3	4	5	6
13.	दि. वेस्ट निमाड क्रेडिट को. आपरेटिव्ह सोसा. लि.खरगोन.	98/03-03-2006	1800/10-03-2014	1158/01-09-2014	श्री नवीन मुहावरे, सह. निरीक्षक.
14.	धनश्री साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन.	102/23-03-2006	1804/10-03-2014	1158/01-09-2014	श्री आर. के. महाजन, सह. निरीक्षक.
15.	शांतनू कर्मचारी साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन.	104/02-06-2006	1806/10-03-2014	1192/08-09-2014	श्री मोहन परमार, व. स. नि.
16.	चैतन्य साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन.	115/24-11-2006	1817/10-03-2014	1192/08-09-2014	श्री मोहन परमार, व. स. नि.
17.	जयदेव साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन.	113/10-11-2006	1815/10-03-2014	1192/08-09-2014	श्री मोहन परमार, व. स. नि.
18.	नर्मदा बायोप्रोडेक्ट सहकारिता मर्यादित, बड़ूद.	109/27-07-2006	1811/10-03-2014	1192/08-09-2014	श्री संतोष जोशी, व. स. नि.
19.	महाप्रभुजी साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन.	107/04-07-2005	1809/10-03-2014	1192/08-09-2014	श्री केशव पांडे, वरि. सह. निरी.
20.	श्री दत्त साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन.	118/19-12-2006	1820/10-03-2014	1192/08-09-2014	श्री मोहन परमार, व. स. नि.
21.	देवी अहिल्या मुद्रणालय को. आपरेटिव्ह लिमि. खरगोन.	119/19-12-2006	1821/10-03-2014	1192/08-09-2014	श्री मोहन परमार, व. स. नि.
22.	श्री ऊँ सांई क्रेडिट को. आपरेटिव्ह लिमि. खरगोन.	121/03-03-2007	1822/10-03-2014	1192/08-09-2014	श्री आर. के. महाजन, सह. निरी.

यह आदेश आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

(34-B)

दिनांक 28 नवम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/क्यू.—उप-आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र./ दिनांक	परिसमापन का आदेश क्र./ दिनांक
1	2	3	4
1.	माँ यमुना महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., महेश्वर	1443/22-09-2005	531/04-04-2014
2.	रेवति महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., महेश्वर	1445/14-10-2005	723/07-06-2014
3.	महिष्मति महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., महेश्वर	1501/21-03-2007	528/04-04-2014
4.	माँ नर्मदा महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., महेश्वर	1444/05-10-2005	526/04-04-2014
5.	आदर्श महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., मडलेश्वर	1445/17-10-2005	527/04-04-2014
6.	श्री सांई महिला साख सहकारिता मर्या., महेश्वर	08/25-10-2005	1516/19-11-2013
7.	मातृ शक्ति साख साख सहकारिता मर्या., खरगोन	28/01-09-2003 संशो. 1731/10-03-2014	1327/31-10-2014

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (सी.ग.) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूं कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने से दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आर. के. रोमडे,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(40)

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 01 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग)के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1200.—अनामिका नमकीन सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम, जिला रतलाम जिसका पंजीयन क्रमांक/789, दिनांक 24 अप्रैल, 2004 है, को उपायुक्त, सहकारिता, जिला रतलाम के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/994, दिनांक 03 नवम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के, यदि हो, तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी भी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये, समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एन. के. नान्देचा,
परिसमापक.

(35)

रतलाम, दिनांक 01 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग)के अन्तर्गत]

सुभाष गृह निर्माण सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम, जिला रतलाम जिसका पंजीयन क्रमांक/351, दिनांक 22 जनवरी, 1985 है, को उपायुक्त, सहकारिता जिला रतलाम के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/989, दिनांक 03 नवम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के, यदि हो, तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी भी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये, समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. चौहान,
परिसमापक.

(35-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 31 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./14/624.—निमाड विपणन एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, खण्डवा (पंजी क्र. 1749, दिनांक 07 फरवरी, 2000)

को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/13/657 खण्डवा, दिनांक 11 जून, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री संतोष पाटीदार, उप-अंकेक्षक, खण्डवा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 16 जुलाई, 2014 में संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा कर प्रस्ताव कार्यालय को परिसमापक द्वारा प्रस्तुत किया गया. प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि संस्था के हितों को दृष्टिगत रखते हुये संस्था को पुनर्जीवित किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, म. प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए निमाड विपणन एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, खंडवा (पंजी क्र. 1749, दिनांक 07 फरवरी, 2000) को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कारोबार संचालन हेतु अस्थाई कमेटी के रूप में संस्था के अंतिम निर्वाचित संचालक मंडल के अनुसार तीन माह के लिए अधिकृत किया जाता है—

1. श्री नानकराम पटेल, अध्यक्ष
2. श्री जगदीश पटेल, उपाध्यक्ष
3. श्री भगवानदास पटेल, संचालक
4. श्री रामचंद पटेल, संचालक
5. श्री दिनेश पटेल, संचालक
6. श्री सुरेश पटेल, संचालक
7. श्री कमलेश पटेल, संचालक
8. श्री माधव पटेल, संचालक
9. श्री राधाकिशन, संचालक
10. श्रीमती गुलाबबाई, संचालक
11. श्रीमती कुसुमबाई, संचालक

साथ ही निर्देशित किया जाता है कि संस्था का निर्वाचन तीन माह में करवाकर नवनिर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(36)

खण्डवा, दिनांक 31 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./14/625.—सर्वोदय कामगार कारीगर सहकारी समिति मर्यादित, खण्डवा (पंजी क्र. 2014, दिनांक 19 अप्रैल, 2007) को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/13/657 खण्डवा, दिनांक 11 जून, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री संतोष पाटीदार, उप-अंकेक्षक, खण्डवा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 15 जुलाई, 2014 में संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा कर प्रस्ताव कार्यालय को परिसमापक द्वारा प्रस्तुत किया गया. प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि संस्था के हितों को दृष्टिगत रखते हुये संस्था को पुनर्जीवित किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, म. प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोदय कामगार कारीगर सहकारी समिति मर्यादित, खंडवा (पंजी क्र. 2014, दिनांक 19 अप्रैल, 2007) को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कारोबार संचालन हेतु अस्थाई कमेटी के रूप में संस्था के अंतिम निर्वाचित संचालक मंडल के अनुसार तीन माह के लिए अधिकृत किया जाता है—

1. श्री अमित पिता पुरूषोत्तम शर्मा, अध्यक्ष
2. श्रीमती पुष्पाबाई पति छगनसिंह, उपाध्यक्ष
3. श्री रामगोपाल पिता छज्जूलाल, संचालक
4. श्री बलवंत पिता छगनसिंह शेखावत, संचालक
5. श्रीमती योगिता पति अमित शर्मा, संचालक
6. श्री सुनिल पिता लक्ष्मणराव हाथमोडे, संचालक
7. श्री मांगीलाल पिता रतिलाल, संचालक
8. श्री संतोष पिता शंकर गवली, संचालक
9. श्री रामचंद्र पिता दशरथ, संचालक

साथ ही निर्देशित किया जाता है कि संस्था का निर्वाचन तीन माह में करवाकर नवनिर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(36-A)

खण्डवा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/795/1.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 के द्वारा श्रीराम फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्यादित, छनेरा (पंजी. क्रमांक 2046, दिनांक 27 जुलाई, 2007) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एस. सिसौदिया, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसमें संस्था की लेनदारी एवं देनदारियों का निपटारा किए जाने का उल्लेख कर अंतिम स्थिति विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी को शून्य कर दी गई है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा द्वारा जाँच उपरांत निर्गमित की गई है. परिसमापक द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए संस्था श्रीराम फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्यादित, छनेरा (पंजी. क्रमांक 2046, दिनांक 27 जुलाई, 2007) जिला खण्डवा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

मदन गजभिये,
उप-पंजीयक.

(36-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 23 दिसम्बर, 2014

क्र./परि./2014/2574.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मनासा, जिसका पंजीयन क्रमांक/स.प.दे./295, दिनांक 18 नवम्बर, 1976 है तहसील बागली, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम,1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री पी.एन. पाटीदार, पर्यवेक्षक को संशोधित आदेश क्रमांक 1903, दिनांक 30 अगस्त 2014 से परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 आयोजित कर सर्वसम्मति से निर्णया लिया गया कि संस्था के सदस्यों के आर्थिक उन्नति के हित में संस्था को पुर्नजीवित करना चाहते हैं. सहकारिता के विस्तार की दृष्टि से संस्था को पुर्नजीवित करना उचित है तथा परिसमापक के प्रस्ताव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था सदस्यों के हित में संस्था का आस्तित्व बना रहना उचित है एवं उसे पुनर्जीवित करना उचित हैं.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास (म.प्र.) शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा-3 की उपधारा (2) के तहत. प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मनासा, तहसील बागली, जिला देवास को परिसमापन में लाने हेतु जारी किये गये, आदेश को निरस्त करते हुए इस आदेश के तहत पुनर्जीवित करता हूँ तथा निर्देश देता हूँ कि तीन माह में संस्था अपना निर्वाचन पूर्ण करावें.

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया.

के. एन. त्रिपाठी,
उप-पंजीयक.

(37)

कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रभारी अधिकारी,

शिवानुगृह, गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.

पता— 41, पराशर नगर, इन्दौर.

शिवानुगृह, गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./839, दिनांक 06 मार्च, 2002 है, जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति हो चुकी है.

संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा भी लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार कार्य नहीं कराते हुए अकार्यशील है संस्था द्वारा वार्षिक साधारण सभा की प्रोसिडिंग, दिनांक 20 अक्टूबर, 2013 प्रस्तुत है. जिसमें संस्था बंद करने का निर्णय लिया गया. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शिवानुगृह, गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुये क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

जगदीश कनोज,
उप-आयुक्त सहकारिता.

(38)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 21 अक्टूबर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/871.— प्रभात क्रेडिट को-आपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, बुरहानपुर (पंजीयन क्रमांक 81, दिनांक 05 सितम्बर, 2014) को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2009/516, दिनांक 28 मई, 2009 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. एम. सोनवणे, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला बुरहानपुर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 05 अक्टूबर, 2014 में संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा कर प्रस्ताव कार्यालय को परिसमापक द्वारा अपने पत्र दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 से प्रस्तुत किया गया. प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि सदस्यों के हितों को दृष्टिगत रखते हुये संस्था को पुनर्जीवित किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभात क्रेडिट को-आपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, बुरहानपुर (पंजीयन क्रमांक 81, दिनांक 05 सितम्बर, 2014) को पुनर्जीवित करता हूँ तथा उक्त परिसमापन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2009/516, दिनांक 28 मई, 2009 को निरस्त करता हूँ साथ ही संस्था को कारोबार संचालन हेतु प्रस्तावित ग्यारह सदस्यीय अस्थाई कमेटी का गठन निम्नानुसार तीन माह के लिये अनुमोदित करता हूँ :—

क्रमांक	नाम	पद
1	2	3
1.	श्री भगवानदास पिता रतनलाल व्यास	अध्यक्ष
2.	श्री भागवत पिता रघुनाथ	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती बंदना पति संतोष	उपाध्यक्ष
4.	श्री विरेन्द्र पिता ब्रजभानसिंह	संचालक
5.	श्री अरविंद पिता भागवत	संचालक
6.	श्री गोपाल पिता रतनलाल	संचालक
7.	श्री लखन पिता मानसिंह	संचालक
8.	श्री श्याम पिता हिरालाल	संचालक
9.	श्री मनोज पिता जगन्नाथ	संचालक
10.	श्रीमती शोभा पति विनोद सिंह	संचालक
11.	श्रीमती सरोज पति संजय	संचालक

साथ ही निर्देशित किया जाता है कि संस्था का निर्वाचन 3 माह में करवा कर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(39)

बुरहानपुर, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1025.— नेपानगर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, नेपानगर (पंजीयन क्रमांक 449, दिनांक 09 मई, 1952) को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/2014/544, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सी. एस. जुनागढे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला बुरहानपुर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 में संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा कर प्रस्ताव कार्यालय को परिसमापक द्वारा अपने पत्र दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 से प्रस्तुत किया गया. प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि सदस्यों के हितों को दृष्टिगत रखते हुये संस्था को पुनर्जीवित किया जाना उचित प्रतित होता है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर,मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेपानगर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, नेपानगर (पंजीयन क्रमांक 449, दिनांक 09 मई, 1952) को पुनर्जीवित करता हूँ तथा उक्त परिसमापन आदेश क्रमांक/विधि/2014/544, दिनांक 24 जुलाई, 2014 को निरस्त करता हूँ साथ ही संस्था को कारोबार संचालन हेतु प्रस्तावित नौ सदस्यीय अस्थाई कमेटी का गठन निम्नानुसार अनुमोदित करता हूँ :—

क्रमांक	नाम	पद
1	2	3
1.	श्री सुधाकर भास्कर रोडे	अध्यक्ष
2.	श्री महेश बनारसीलाल पाण्डे	उपाध्यक्ष
3.	श्री नासीर नजीर मोहम्मद	संचालक
4.	श्री दीपक गिजु पटेल	संचालक
5.	श्री प्रदीप राजाराम बोदडे	संचालक
6.	श्री कैलाश चन्द्रमोहन वर्मा	संचालक
7.	श्री संजय प्रल्हाद दण्डवते	संचालक
8.	श्री सुरेश सुमेरसिंह रघुवंशी	संचालक
9.	श्री दुर्गासिंह चेतरामसिंह ठाकुर	संचालक

साथ ही निर्देशित किया जाता है कि संस्था का निर्वाचन निर्धारित अवधि में करवा कर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौपा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

जे. एल. बरडे,
उप-पंजीयक.

(39-A)

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1769/मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कामता, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक

सहकारी समिति मर्यादित, कामता, पंजीयन क्रमांक 1258, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(41)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1770/मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, टाटरी, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, टाटरी, पंजीयन क्रमांक 1259, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(41-A)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1771/मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, इन्द्री, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, इन्द्री, पंजीयन क्रमांक 1260, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

के. सी. अग्रवाल,

(41-B) सहायक रजिस्ट्रार.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 04] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जनवरी 2015-माघ 3, शके 1936

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 24 सितम्बर, 2014

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील सेंवढ़ा (दतिया), बिजावर (छतरपुर), पवई (पन्ना), सागर (सागर), हनुमना, गुढ़ (रीवा), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली (उमरिया), गोपदवनास, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), पानसेमल (बड़वानी), सिंरोज, कुरवाई (विदिशा), हुजूर (भोपाल), रायसेन, बरेली, बाड़ी (रायसेन), घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, चिंचोली (बैतूल), होशंगाबाद, बाबई, सोहागपुर, पिपरिया, वनखेड़ी, पचमढ़ी (होशंगाबाद), जबलपुर (जबलपुर), कटनी, बड़वारा, बरही (कटनी), बिछिया, नैनपुर, मंडला, घुघरी (मंडला), डिण्डोरी, शाहपुरा (डिण्डोरी),सिवनी, केवलारी, बरघाट, घंसोर, घनोरा (सिवनी), बालाघाट, लांजी, वारासिवनी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील गौरीहार (छतरपुर), हजूर, रामपुर-कर्चुलियान (रीवा), जैतहरी, अनूपपुर (अनूपपुर), सिंहावल, मझोली (सीधी), बुरहानपुर, खकनार (बुरहानपुर), गुलाबगंज (विदिशा), मझोली (जबलपुर), ढीमरखेड़ा (कटनी), बजाग (डिण्डोरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील कोतमा (अनूपपुर), कुसमी (सीधी), नेपानगर (बुरहानपुर), इटारसी (होशंगाबाद) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील सिवनी-मालवा (होशंगाबाद) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, रीवा, अनूपपुर, सीधी, बड़वानी व सिवनी में खरीफ फसलों की जुताई व रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला श्योपुर, रीवा, खरगौन में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला डिण्डोरी में मक्का व छिन्दवाड़ा में सोयाबीन, मक्का की तुड़ाई व कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, गुना, सागर, दमोह, रीवा, उमरिया, झाबुआ, बड़वानी, विदिशा, भोपाल, नरसिंहपुर व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 24 सितम्बर, 2014

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. श्योपुर	. .		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मूँग, उड़द, तिल सुधरी हुईं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. विजयपुर	. .				
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	3.0		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, उड़द, तिल, मूँगफली, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, सोयाबीन अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) उड़द अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम. मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		(2) . .		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
***जिला टीकमगढ़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. निवाड़ी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) . .		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लवकुशनगर	. .		4. (1) तुअर अधिक. ज्वार, तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	24.0		(2) . .		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	2.0				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बकस्वाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) मूँग अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .				
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	8.0		(2) . .		
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, मूँग, अरहर, तिल, मूँगफली, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .				
3. बण्डा	. .				
4. सागर	0.7		(2) उपरोक्त फसल कम.		
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) ज्वार, सोयाबीन, उड़द, तुअर, मूँग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		मक्का, धान, तिल बिगड़ी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) मूँग, उड़द, मक्का, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		धान, सोयाबीन कम. कोदों-कुटकी	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	. .		समान.		
4. नागौद	. .		(2) . .		
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) ज्वार अधिक. धान, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		उड़द, मूँग, तिल, अरहर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	. .		(2) . .		
4. हनुमना	16.3				
5. हजूर	25.0				
6. गुढ़	14.0				
7. रायपुरकर्चुलियान	26.0				
***जिला शहडोल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	19.4		4. (1) धान, मक्का, सोयाबीन, राहर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	22.6		कोदों-कुटकी कम. रामतिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	44.6		(2) . .		
4. पुष्पराजगढ़	8.7				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. बांधवगढ़	3.8		4. (1) उड़द, अरहर अधिक. सोयाबीन, धान,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	5.0		कम. मक्का, कोदों-कुटकी, तिल	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	. .		समान.		
			(2) . .		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	7.4		4. (1) मक्का, धान, तिल, अरहर, मूँग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	27.0		उड़द, कोदों-कुटकी समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	33.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कुसमी	37.0				
5. चुरहट	9.3				
6. रामपुरनैकिन	7.2				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) धान कम. मक्का, ज्वार, तिल,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		उड़द, मूंग, कोदों, तुअर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुन्धड़का	. .				
9. संजीत	. .				
10. कयामपुर	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		तिल, मूँगफली कम. तुअर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .		(2) . .		
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) . .		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला देवास :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) मक्का, तुअर अधिक. धान,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		सोयाबीन, उड़द कपास समान.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, उड़द,	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		मूँग, सोयाबीन, कपास समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. सोण्डवा	. .				
5. भामरा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) मक्का, कपास, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		सोयाबीन कम.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		ज्वार, धान, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	. .		(2) . .		
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	11.0				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
***जिला खण्डवा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	20.2		4. (1) कपास, मूँगफली समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	31.4		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	35.0				
***जिला राजगढ़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	13.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	1.2				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	33.0				
8. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) सोयाबीन, धान, मक्का, तुअर, मूँग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	9.03		मूँगफली, ज्वार, उड़द समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .		
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	2.4		4. (1) धान अधिक. ज्वार कम. मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		कोदों-कुटकी, अरहर, मूँग, उड़द,	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		सोयाबीन, मूँगफली, तिल, गन्ना समान.		
4. गौहरगंज	. .		(2) . .		
5. बरेली	3.4				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	0.5				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का कम. धान समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	7.10		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	4.20				
4. चिचोली	7.20				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	85.8		4. (1) मूँगमोठ, उड़द, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	15.8		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	5.0				
4. इटारसी	52.4				
5. सोहागपुर	13.0				
6. पिपरिया	8.0				
7. वनखेड़ी	10.0				
8. पचमढ़ी	4.6				
***जिला हरदा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .		4. (1) धान, मूँग, उड़द, सोयाबीन, तिल,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		तुअर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	9.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. मझौली	25.4				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	3.3		4. (1) धान, तिल, मक्का, कोदों, राहर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		उड़द, मूँग समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	30.0				
6. बडवारा	15.0				
7. बरही	3.0				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) तुअर, सोयाबीन, धान, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		उड़द, गन्ना.	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	. .		(2) . .		
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) धान, मक्का, तुअर, तिल, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	9.3		कोदों-कुटकी, सन सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	2.1		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
4. मण्डला	1.0				
5. घुघरी	13.0				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. मक्के फसल की तुडाई	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	3.2	का कार्य चालू है.	4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बजाग	34.0		कोदों-कुटकी समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुरा	9.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन, मक्का की	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .	कटाई का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .		
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	0.4		4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	5.0		मूँगफली अधिक. ज्वार, कोदों-	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	. .		कुटकी, सोयाबीन कम. तिल, सन्		
4. बरघाट	0.1		समान.		
5. कुरई	. .		(2) . .		
6. घंसौर	13.0				
7. घनोरा	3.0				
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	1.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	5.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	3.1				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला भिण्ड, टीकमगढ़, शहडोल, देवास, खण्डवा, राजगढ़, हरदा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(20)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.